न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान ....बनाम ....

प्रकरण संख्या ..../ अन्तर्गत धारा..

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर ... जो इस ... पालना ...
11/01/23	वादी अधिवक्ता उपस्थित। TDR KPR से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ शामिल मिसल किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/01/2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
18/01/23	वादी अधिवक्ता उपस्थित। निर्णय अलग से लिखवाया जाकर सुनाया गया। वादी का वादपत्र TDR KPR से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार स्वीकार किया जाता है। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	
02/02/23	आज यह पत्रावली वादी अधिवक्ता के द्वारा स्टाम्प ड्यूटी पेश करने पर पेशी मे ली गई। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी की। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर	

(हाशिये पर) विभाजन प्रस्ताव ... (हस्ताक्षर)

(मोहर) उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:27:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखाण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 15/2021

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. मन्जू बाला पत्नी राजेन्द्र कुमार तरड जाति जाट निवासी मोटासरखूनी तहसील श्रीकरणपुर।	1. गोगीराम पुत्र महावीर प्रसाद जाट निवासी मोटासरखूनी तहसील श्रीकरणपुर। 2. पप्पी उर्फ इन्द्रा पत्नी हेतराम जाट निवासी मोटासरखूनी हाल आबाद वार्ड नम्बर 5 डबली बास पैना उपतहसील डबली राठान तहसील हनुमानगढ। 3. कलावती पुत्री हेतराम जाट निवासी मोटासरखूनी हाल आबाद वार्ड नम्बर 5 डबली बास पैना उपतहसील डबली राठान तहसील हनुमानगढ। 4. सुमन कुमार पुत्र हेतराम जाट निवासी मोटासरखूनी हाल आबाद वार्ड नम्बर 5 डबली बास पैना उपतहसील डबली राठान तहसील हनुमानगढ। 5. अमरजीत कौर पत्नी सन्तोख सिंह जटसिख निवासी 19 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। 6. दविन्द्र सिंह पुत्र सन्तोख सिंह जटसिख निवासी 19 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। 7. पपिन्द्र सिंह पुत्र सन्तोख सिंह जटसिख निवासी 19 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। 8. मनजीत कौर पत्नी अपार सिंह जटसिख निवासी19 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर। 9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:27:00 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 24.02.2021

उपस्थित: 1.श्री जसविन्द्र सिंह चीमा अधिवक्ता वादिया

2. श्री मोहित गोयल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

--निर्णय--

दिनांकः 04.05.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 19 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 48/48 के मुरब्बा नम्बर 52, 71, 72, 78/39, 78/60 की कुल 7.817 हेक्टैयर नहरी मय बारानी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से वादिया के नाम 1.265 हेक्टैयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। खातेदार विद्या देवी पत्नी महावीर प्रसाद की मृत्यू हो चुकी है। जिसके जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 तथा खातेदार दयाराम पुत्र महावीर प्रसाद(मृतक) थे। खातेदार दयाराम पुत्र महावीर प्रसाद अविवाहित फौत हो चुका है। जिसका जायज वारिस केवल उसका भाई प्रतिवादी संख्या 1 गोगीराम है। वादिया के नाम दर्ज 1.265 हेक्टैयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 तथा खातेदार दयाराम(मृतक) से दिनांक 30.12.2019 को जरिए पंजीकृत बैयनामा खरीद की थी। उसी रोज विक्रेतागण द्वारा अपने कब्जा की भूमि यानि मुरब्बा नम्बर 72 के किल नम्बर 11 ता 15 सालम-सालम कुल 1.265 हेक्टैयर नहरी भूमि का कब्जा मुझ वादिया को सौप दिया था और कब्जा सौपने बाबत एक शपथ पत्र तहरीर करके वादिया को दिया था। वादिया का अपनी खरीदशुदा मुरब्बा नम्बर 72 के किल नम्बर 11 ता 15 सालम-सालम कुल 1.265 हेक्टैयर नहरी भूमि पर दिनांक 30.12.2019 से कब्जा काश्त है। वादिया ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि को उपजाउ बनाने के लिए अत्यधिक मेहनत व खर्चा करके भूमि को सुधारा एंव सवारा है। उक्त प्रश्नगत खाता की तमाम भूमि संयुक्त खाता की भूमि है और तमाम खातेदार ने अपनी-अपनी सहुलियत के लिए अपने अपने हिस्सानुसार भूमि का किलावाईज बंटवारा कर रखा है। और उसी अनुसार अपने-अपने हिस्सा की भुमि पर काश्त कर रहे है। वादिया इसी अनुसार उक्त मुश्तर्का खाता की भूमि का विधिवत विभाजन करवा कर मुरब्बा नम्बर 72 के किला नम्बर 11 ता 15 सालम-सालम कुल 1.265 हेक्टैयर रकबा का अलग से खाता विभाजन करवाने की अधिकारी है। वादिया ने कई मर्तबा तमाम खातेदारों से कहा कि उक्त खाता की भूमि का कब्जानुसार विधिवत विभाजन करवाकर किलावाईज भूमि अपने-अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लेवे। सहखातेदारान टालमटोल करते रहे। आज से करीब 10 दिन पूर्व वादिया ने खाता विभाजन करवाने को कहा तो सहखातेदारान कहने लगे कि तुम्हे जल्दी है तो करवा लो हम विधिवत विभाजन नहीं करवाऐगे। साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादिया स्वीकार किया जाकर चक 19 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 48/48 के मुरब्बा नम्बर 52, 71, 72, 78/39, 78/60 की कुल 7.817 हेक्टैयर नहरी मय बारानी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से वादिया के नाम दर्ज 1.265 हेक्टैयर भूमि का वादिया के कब्जानुसार मुरब्बा नम्बर 72 के किला नम्बर 11 ता 15 का खाता अलग से कायम किये जाने के [illegible]

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज र[illegible]र किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] की ओर से अधिवक्ता श्री मोहित गोयल उपस्थित आए व प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवादीगण को भेजे गए रजिस्ट्रर्ड नोटिस की डिलिवर्ड रिपोर्ट पेश की व निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा सम्पर्क नहीं किया है, का जवाब बन्द किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:27:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

जाता है तो हमें कोई एतराज नहीं है। लिहाजा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का जवाबदावा बन्द किया जाता है। पैरोकार राज के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का जवाब दावा बन्द है। प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हमने बहस वकील उभयपक्षकारान की सुनी। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस अधिवक्ता वादिया के द्वारा निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का जवाब दावा बन्द है। प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। वादग्रस्त भूमि में से वादिया के नाम 1.265 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादिया अधिवक्ता ने दौराने बहस जाहिर किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जावे। लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादिया का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाना हम उचित समझते है। शेष खाता एंव रहन बदस्तुर रहें।

-:आदेश:-

अत: माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम चक 19 एफ एफ, पटवार हल्का मोटासर खूनी, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 48/48 के मुरब्बा नम्बर 52, 71, 72, 78/39, 78/60 की कुल 7.817 हेक्टैयर नहरी मय बारानी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में वादिया मंजूबाला पत्नी राजेन्द्र कुमार के नाम 1.265 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादिया के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा [illegible] वादिया एंव प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिव[illegible]दिया एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे। प्र[illegible] मिसल हो। तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर [illegible]गवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:27:00 IST
Reason: SelfAttested

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 04.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

प्राथमिक डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

मंजू बाला बनाम गोगीराम आदि
धारा अन्तर्गत 53, 88, 91 आरटीए मुकदमा नं. 15/2021
निर्णय दिनांक :- 04.05.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादिया अधिवक्ता श्री जसविन्द्र सिंह चीमा, प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री मोहित गोयल** के पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम चक 19 एफ एफ, पटवार हल्का मोटासर खूनी, भू.अ.नि. क्षेत्र मानकसर, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 48/48 के मुरब्बा नम्बर 52, 71, 72, 78/39, 78/60 की कुल 7.817 हेक्टैयर नहरी मय बारानी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में वादिया मंजूबाला पत्नी राजेन्द्र कुमार के नाम 1.265 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादिया के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताविक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादिया व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादिया एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे।

आज दिनांक 04.05.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	02	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांक: 05.05.2022

क्रमांक: रीडर/ 2022/२५६
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित है।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2023.06.09 14:27:00 IST
Reason: SelfAttested